का॰ज्ञा॰ सं॰ 12015/101/2004, रा॰भा॰ (त॰क॰), दिनांक 16.12.2004

विषय: संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट खंड 6 में की गई सिफारिशों पर सरकार के निर्णय को कार्यान्वित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह कहने का निदेश हुआ है कि संसदीय राजभाषा समिति ने अपनी रिपोर्ट खंड 6 में की गई सिफारिशों में निम्नलिखित सिफारिश भी की है। इन सिफारिशों पर सरकार का निर्णय राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 12021/02/2003-रा॰भा॰ (का-2) दिनांक 17 सितम्बर, 2004 द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों को सूचित किया जा चुका है।

संस्तुति संख्या 11.10.28: सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण के लिए विशेष वीडियो/आडियो कैसेट भी तैयार करवाई जा सकती हैं।

आदेश: ''समिति की यह सिफारिश स्वीकार्य है। इंटरनेट के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाये। राजभाषा विभाग समुचित कार्यवाही करे।''

निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से यह अनुरोध है कि वे अपने कार्यालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण दिलायें। राजभाषा विभाग के पोर्टल पर प्राज्ञ स्तर तक का नि:शुल्क स्वयं शिक्षण पाठ्यक्रम ''लीला हिंदी प्रबोध'', ''लीला हिंदी प्रवीण'' एवं ''लीला हिंदी प्राज्ञ'' अंग्रेजी, कन्नड़, मलयालयम, तमिल एवं तेलुगू माध्यम से उपलब्ध हैं। राजभाषा विभाग के पोर्टल का पता www.rajbhasha.nic.in है।

कृपया इस कार्यालय ज्ञापन की जानकारी अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/नियंत्रणाधीन निगमों/निकायों आदि को भी दें तथा इससे संबंधित एक प्रति राजभाषा विभाग को भी दें।